न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 69/2016

उनवान

1. प्रकाश,
2. उम्मेद पि० कालू जाति मेहरात नि० ग्राम बिठुर नसीराबाद

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मूंशी पि० कामड,
2. पीरू,
3. सुखदेव पि० भोमा,
4. भंवर,
5. पूना,
6. कादर,
7. बादशाह,
8. लाडी पि. धन्ना
9. कूकी पत्नी बाबू,
10. असलम,
11. मुराद,
12. सईदा,
13. मुमताज,
14. मुन्नी,
15. सलमा पि० बाबू,
16. प्रभु,
17. पप्पू पि० हेमा जाति मेहरात नि० ग्राम बिठुर, नसीराबाद,
18. राज० सरकार जरियं तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 16 व 17 जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर
18 जरियें राज० पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :– दिनांक :– 29/5/24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 73 रकबा 0.18 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की ––

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है। आराजी मुतनाजा अविभाजित है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 15 ने विभाजन कराने से मना कर दिया है तथा प्रार्थी की आराजी पर दखलदाजी की जा रही है। अतः अप्रार्थी को अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। भूमि का हस्तांतरण नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वे अपने हक व अधिकार पर ही कृषि कार्य के लिये भण्डारण व सुरक्षा से सबंधित दिवार का निर्माण करा रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 15 के साथ ही विभाजन चाहा है। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 के विरूद्व विभाजन नही चाहा है। जवाबकर्ता के विरूद्ध, कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की सह खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी अविभाजित है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 16 व 17 बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर निर्माण कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 15 प्रकरण में उपस्थित नही हुये है। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 का कथन है कि वे अपने हक व अधिकार पर ही कृषि कार्य के लिये भण्डारण व सुरक्षा से सबंधित दिवार का निर्माण करा रहे है। किन्तु राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर उनका नाम दर्ज नही है। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 का आराजी मुतनाजा पर क्या अधिकार है यह उनके द्वारा स्पष्ट नही किया है। अविभाजित आराजी पर निर्माण कार्य करना न्यायोचित नही है। साथ ही अविभाजित आराजी पर अपना स्वयं का हिस्सा विक्रय करने से सह खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रकरण मौका सिथति के व्यादेश तक प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 16 व 17 आराजी मुतनाजा पर बिना किसी हक के निर्माण कार्य कर हे है। अविभाजित आराजी पर निर्माण करने से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :- अतः ग्राम बिदुर के हाल खसरा नम्बर 73 रकबा 0.18 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जा[illegible] आराजी मुतनाजा के मौके की यथासिथति बनाये रखे, निर्माण न[illegible] रु[illegible]न करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी